कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2-सिविल लाईन, जयपुर-302006

फोन - 0141-2222053
फैक्स - 0141-2222585
ई–मेल– rj_cehq@nic.in

क्रमांक एफ.6( )जन.स्वा. / अ.मु.अ(श) / नागरिक अधिकार पत्र / 11–12 / 94452–60 दिनांक : 17/11/11

परिपत्र

विषय : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नागरिक अधिकार पत्र में आवश्यक संशोधन।

शासन की कार्यप्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने तथा राज्य कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नागरिक अधिकार पत्र मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के पत्रांक अमुअ / अ.अ.I / इन्फोराईट / 403–412 दिनांक 10.04.03 द्वारा फील्ड अधिकारियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वितरित कराने के लिए भेजा गया था। विभाग का नागरिक अधिकार पत्र विभागीय वेबसाईट www.rajwater.gov.in के माध्यम से भी आमजन के लिए प्रसारित किया हुआ है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार "राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारण्टी अधिनियम 2011" दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। अधिनियम के तहत जन स्वा. अभि. विभाग से संबंधित समयबद्ध प्रदान की जाने वाली 7 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। उक्त अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में नागरिक अधिकार पत्र विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पारदर्शी शासन की कड़ी में एक अहम दस्तावेज है। अधिनियम के प्रभावी होने एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निवेदन (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के अ.शा. पत्र क्रमांक प.13(1)प्र.सु. / सम / अनु–1 / 2008 / पार्ट जयपुर दिनांक 25.10.2011) के दृष्टिगत अधिनियम में चिन्हित सेवाओं के अनुसार विभाग के नागरिक अधिकार पत्र में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है।

नागरिक अधिकार पत्र के बिन्दु शीर्षक **"जनता / उपभोक्ताओं की सुविधार्थ सूचना"** में वर्णित समस्त सूचना के स्थान पर निम्न सूचनाओं का समावेश किया जाता है –

"राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत विभाग से संबंधित निम्न वर्णित सेवाओं में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जावेगी–

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां / सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी *	सहायक पदाभिहित अधिकारी **	प्रथम अपीलीय अधिकारी **	द्वितीय अपील अधिकारी ***
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैण्डपम्प ठीक करवाना।	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
2.	नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना	पानी उपलब्ध होने की स्थिति में 7 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी *	सहायक पदाभिहित अधिकारी **	प्रथम अपीलीय अधिकारी **	द्वितीय अपील अधिकारी ***
1	2	3	4	5	6	7
3.	जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करावाना।	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
4.	पानी के बिल को ठीक करवाना (Correction of Bills)।	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
5.	पानी के मीटर बदलवाना।	7 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता
6.	(अ)प्रतिभूति निक्षेप / सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने के प्रकरण।	3 माह	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
	(ब) धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी.) लौटाने के प्रकरण।	10 दिवस	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता
7.	कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान (फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन)।	संवेदक द्वारा अन्तिम बिल प्रस्तुत करने के 3 माह के अन्दर	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता

* आवेदन पत्र लेने एवं सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी।

** सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी।

** निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान नहीं कराने वाले अधिकारी के विरूद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी।

*** प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध सुनवाई करने वाला अधिकारी।"

अतः समस्त फील्ड अधिकारियों व संबंधित से निवेदन है कि विभाग के नागरिक अधिकार पत्र को उपरोक्त संशोधन अनुसार पढ़ा जावे।

उपरोक्त संशोधन पर राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। (अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, राज. जयपुर का डायरी क्रमांक 4873 दिनांक 11.11.2011)।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जन स्वा. अभि. विभाग राज., जयपुर

क्रमांक एफ.6( )जन.स्वा./अ.मु.अ(श)/नागरिक अधिकार पत्र/11–12/ 24452-60 दिनांक : 17/11/11

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग,राज.,जयपुर।
2. शासन उप सचिव (प्रथम), जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) एवं तकनीकी सदस्य, आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी., जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/विशेष परियोजना) जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर/परियोजना, जोधपुर
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, RWSSMB, जयपुर।
6. State Informatic Officer, National Informatics Centre (NIC), Rajasthan State Unit, 318, NW block, Secretariat, Jaipur, आपसे निवेदन है कि जन स्वा. अभि. विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध नागरिक अधिकार पत्र के बिन्दु शीर्षक **"जनता/उपभोक्ताओं की सुविधार्थ सूचना"** के अन्तर्गत समस्त सूचना को उपरोक्तानुसार संशोधित कराने का श्रम करावें। (email : sioraj@nic.in, tarun.toshniwal@nic.in, bschauhan@nic.in)
7. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, क्षेत्र .... (समस्त)।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) एवं नोडल अधिकारी कम्प्यूटराईजेशन, जन स्वा. अभि. विभाग, राज. जयपुर।
10. सचिव, RWSSMB, जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत .... (समस्त)।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड .... (समस्त)।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जन स्वा. अभि. विभाग, राज.,जयपुर